तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-3-18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान [illegible] उपस्थित। T.D.R. भीलवाड़ा से विभाजन स्कीम तैयार किये जाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट से इस्तगासा न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक को पारित की गयी। पारित डिक्री में वादीगण के रूप में भैरू, कजोड़ु, व मोहन तथा प्रतिवादी के रूप में देवीलाल, नारायण, श्रीमती कमला, गोपी, कन्हैयालाल, व अन्य पक्षकार थी तथा राजस्व रेकार्ड में भी खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल क्रमांक 206 संवत 2065 की होती है। जिस इजराय की निर्णय व डिक्री दिनांक 12-5-1[illegible] को विभाजन स्कीम तैयार किये जाने बाबत पारित की गयी। किन्तु वर्तमान वाद पत्र को विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी क्र० 1 के 4 द्वारा अपना हिस्सा केवलराम S/O राधेश्याम लाल व्यास को बेचान कर दिया। तथा वह वाद पत्र में पक्षकार नहीं है, ऐसी स्थिति में पक्षकार नहीं होने से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं हो सकती है। इस कारण वादी द्वारा चाही गयी दादरसी भी वादी प्राप्त नहीं कर सकता। इस कारण वादी जब तक वाद पत्र में प्रतिवादीगण क्र० 1 के 4 द्वारा बेचान की गयी भूमि के खरीददार को पक्षकार नहीं बनाया जाता तब तक वाद पत्र का विचाराधीन रहना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः न्याय हित में वादी का वाद पत्र आवश्यक पक्षकार होते हुए वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी का वाद पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)	